न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 09/2021 (2021/53) दर्ज दिनांक 21.01.2021

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

भगवान लाल आत्मज चतरभुज गाडरी निवासी श्रीरामनगर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा। –प्रार्थी

बनाम

1. टमु पत्नि स्व0 चतरभुज गाडरी
2. नारायण आत्मज चतरभुज गाडरी
3. प्रकाश आत्मज चतरभुज गाडरी
4. मुकेश आत्मज चतरभुज गाडरी
5. रतन आत्मज चतरभुज गाडरी
6. माया पुत्री चतरभुज गाडरी ना0बा0ब0 जरिये संरक्षक माता टमु पत्नि स्व0 चतरभुज गाडरी
7. ऐजी पत्नि नाथु गाडरी
8. कंकु पत्नि नंदा गाडरी
9. कमला पत्नि हीरालाल गाडरी
10. किशनलाल आत्मज नंदा गाडरी
11. चांदी पुत्री नाथु गाडरी
12. जीतु आत्मज नाथु गाडरी
13. नानी पुत्री चम्पा गाडरी
14. नाराणी पत्नि चम्पा गाडरी
15. प्रेम पुत्री नाथु गाडरी
16. बाबु आत्मज चम्पा गाडरी
17. भंवर आत्मज चम्पा गाडरी
18. मदन आत्मज चम्पा गाडरी ना0बा0ब0 जरिये संरक्षक माता नाराणी पत्नि चम्पा गाडरी
19. मीठु आत्मज चम्पा गाडरी
20. रामा आत्मज देवा गाडरी
21. शंकर आत्मज नाथु गाडरी
22. शंभु आत्मज नाथु गाडरी
23. शांतिलाल आत्मज चम्पा गाडरी ना0बा0ब0 जरिये संरक्षक माता नाराणी पत्नि चम्पा गाडरी
24. हेमराज आत्मज नंदा गाडरी
25. कालु आत्मज मांगु गाडरी
26. जेती पत्नि उदेराम गाडरी
27. जमनी पत्नि लेहरू गाडरी
28. झमकु पुत्री भागीरथ गाडरी
29. झमकु पत्नि मांगु गाडरी
30. नाराणी पुत्री मांगु गाडरी
31. प्रकाश आत्मज लेहरू गाडरी
32. माधुलाल आत्मज लेहरू गाडरी
33. रम्भा पुत्री भागीरथ गाडरी
34. संगारी पुत्री भागीरथ गाडरी सर्व निवासी श्रीरामनगर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2021.11.22 12:30:44 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर (भीलवाड़ा)

(हस्ताक्षर अधिकार देने वाला/देने वाले)

35. भैरूलाल आत्मज नानुराम गाडरी
36. रतनी पुत्री नानुराम गाडरी
सर्व निवासी रामपुरिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
37. मोतीलाल आत्मज भुरालाल खटीक निवासी श्रीरामनगर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

–विपक्षीगण

उपस्थिति– अधिवक्ता प्रार्थीयाः–श्री चंद्रभानसिंह राठौड़
अधिवक्ता विपक्षी संख्या 37:– श्री भोलाराम माली

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांकः–04.10.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम श्रीरामनगर, पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी एवं विपक्षी सं0 एक लगायत छः के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की खाता संख्या 96मे स्थित आराजी संख्या 1170 रकबा 0.71 हे0, 1171 रकबा 0.28 हे0, 1172 रकबा 0.28 हे0, 1173 रकबा 0.43 हे0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.70 हे0 भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित है। भूमियां प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की है। जिनकी जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षी संख्या 1 लगायत 7, 9 लगायत 19, 21 लगायत 25, 27, 29 लगायत 32, 34 लगायत 36 बावजूद सूचना अनुपस्थित अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। विपक्षी संख्या 37 के अधिवक्ता उपस्थित कई अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं अतः जवाबदेही बंद की जाती हैं। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा विपक्षी संख्या 8, 20, 26, 28, 33 की मृत्यु होने से उसके कायम मुकाम पेश नही करना चाहा एवं उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाही। प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष अधिवक्ता को सुना गया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया एवं विपक्षी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करने पर विरोध जाहीर किया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम श्रीरामनगर, पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी एवं विपक्षी सं0 एक लगायत छः के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की खाता संख्या 96मे स्थित आराजी संख्या 1170 रकबा 0.71 हे0, 1171 रकबा 0.28 हे0, 1172 रकबा 0.28 हे0, 1173 रकबा 0.43 हे0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.70 हे0 भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित है। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें।** यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता है तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें। प्रार्थी बतौर [illegible] शुल्क राशि 650/– (छः सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी [illegible] राशि 650/– (छः सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख [illegible]। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा व उ0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04.10.2021 को खुले न्यायालय में [illegible]या गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2021.11.22 12:30:44 IST
Reason: SelfAttested

(राजेश सुवालका)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा)